

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

आजाद कुमार

बनाम

माधुसूदन जाट

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

३१७/२०२२

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

१५/८/२२

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज  
रजिस्टर हो।प्रार्थी श्री / श्रीमती आजाद कुमार s/o इन्दुमल  
केसरेवी s/o इन्दुमल, जगदीशचन्द्र - विनोदकुमार  
पिता श्री इन्दुमल महाराजनिवासी- विजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम  
विजयपुर स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर ७७०, ७७१, ७७२  
७८३, ७८४, ७८५कुल कीता ६ कुल रकबा २.९१०० है० की पत्थरगढी  
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज  
रेकार्ड है।अतः प्रार्थी की ग्राम विजयपुर स्थित खातेदारी की भूमि आराजी  
नम्बर ७७०, ७७१, ७७२, ७८३, ७८४, ७८५कुल कीता ६ रकबा २.९१०० है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी  
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का  
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क १.५०० रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये  
प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर  
पेश हो।(सहयुक्त कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)